


11.02.2025:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य में पारिवारिक आपसी समझौता हो गया है इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। उक्त वाद पत्र को वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गए। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा किये जाने वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

